लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5523

26 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

'मेक इन इंडिया' अभियान

5523. श्री चंद्र शेखर साहूः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि अपने 'मेक इन इंडिया' अभियान के अंतर्गत निवेश को आकर्षित करने के अपने प्रयासों के बावजूद, वर्ष 2016-17 से अब तक विनिर्मित वस्तुओं, विशेषकर वस्त्रों की बिक्री में लगातार गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विमुद्रीकरण से पहले भी वस्त्र सामग्री की मांग घट रही थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस तरह की गिरावट के कारणों की जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं;

(ङ) क्या वस्त्र कंपनियों द्वारा वर्ष 2016 में अपने कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा विनिर्माण क्षेत्र की सहायता करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 15-16 प्रतिशत का योगदान है और 12 प्रतिशत श्रमबल को सहायता प्रदान करता है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (ड़): महोदय, ऐसी कोई कमी देखने को नहीं मिली है। वस्त्र क्षेत्र में समग्र उत्पादन और रोजगार इस अवधि के दौरान बढ़ता हुआ रूझान प्रदर्शित कर रहा है। इसे वस्त्र क्षेत्र के कुछ संघटकों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े से देखा जा सकता है:-

i. विभिन्न वस्त्र मदों के उत्पादन का विवरण:-

मद	2016-17	2017-18	2018-19 (अनं.)
स्पन यार्न (मि. कि.ग्रा.)	5659	5680	5862

मानव निर्मित फाइबर (मि. कि.ग्रा.)	1364	1319	1443
मानव निर्मित फिलामेंट यार्न (मि. कि.ग्रा.)	1159	1187	1159
क्लॉथ (मि. वर्ग मी.)	64421	67779	70980

ii. संगठित विनिर्माण क्षेत्र और वस्त्र एवं वियरिंग अपैरल क्षेत्र में नियोजित/तैनात व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा:-

वर्ष	**नियोजित व्यक्तियों की संख्या**	
	कुल विनिर्माण क्षेत्र	**वस्त्र और वियरिंग अपैरल क्षेत्र**
2013-14	1,35,38,114	24,74,903
2014-15	1,38,81,386	25,26,610
2015-16	1,42,99,710	26,48,238
2016-17	1,49,11,189	26,97,123

(च): भारत का समावेशी और भागीदारी पूर्ण विकास करने के लक्ष्य के उद्देश्य से सरकार का केन्द्रीय फोकस सर्वोत्तम विनिर्माण अवसंरचना का निर्माण, प्रौद्योगिकी का संपोषण करने वाले नवाचार के उन्नयन, वस्त्र क्षेत्र में कौशल और परंपरागत शक्ति को बढ़ाकर वस्त्र विनिर्माण को बढ़ावा देने पर रहा है। कुछ प्रमुख पहलें और विशेषताएं नीचे सूचीबद्ध की गई हैं:

i. **संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस):** देश में आसानी से व्यवसाय करने को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के विज़न को प्राप्त करने तथा 'जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट' के साथ 'मेक इन इंडिया' के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन द्वारा निर्यात का संवर्धन करने के उद्देश्य से निवेश, उत्पादकता, गुणवत्ता, रोजगार, वस्त्र उद्योग में आयात स्थान्पन के साथ निर्यात को बढ़ावा देने को सुविधाजनक बनाने और वस्त्र मशीनरी के निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से निवेश का संवर्धन करने के उद्देश्य से जनवरी, 2016 में संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) की शुरूआत की गई थी। इस योजना को लगभग 95,000 करोड़ रुपए के निवेश को प्रोत्साहित करने और वर्ष 2022 तक 35 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।

ii. **एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी):** यह योजना प्रत्येक पार्क के लिए 40.00 करोड़ रुपए की सीमा के साथ परियोजना लागत के 40% तक भारत सरकार के अनुदान से वस्त्र इकाईयों की स्थापना करने के लिए विश्वस्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण करने के लिए सहायता प्रदान करती है।

iii. **राज्य और केंद्रीय करों तथा लेवियों की छूट (आरओएससीटीएल):** केंद्र सरकार ने दिनांक 07.03.2019 से परिधानों/मेड-अप्स के निर्यात पर एक नई योजना अर्थात राज्य और केंद्रीय करों तथा लेवियों की छूट (आरओएससीटीएल) लागू की है। आरओएससीटीएल योजना में अधिसूचित दरों और मूल्य सीमा पर परिधानों/मेड-अप्स के निर्यात पर योजना के माध्यम से ड्यूटी ड्रॉ-बैक

योजना के अलावा राज्य और केंद्रीय करों तथा लेवियों की छूट का प्रावधान किया गया है और यह दिनांक 31.01.2020 तक लागू रहेगी।

iv. **समर्थ- वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना (एससीबीटीएस) :** यह योजना संगठित क्षेत्र में स्पिनिंग तथा वीविंग को छोड़कर वस्त्र क्षेत्र की समग्र मूल्य श्रृंखला के लिए 1300 करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान तीन वर्षों की अवधि के लिए लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ संगठित वस्त्र तथा संबद्ध क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने तथा परंपरागत क्षेत्रों में कौशल तथा कौशल उन्नयन करने के उद्योग के प्रयासों में सहायता करने तथा प्रोत्साहन देने के लिए एक मांग आधारित, प्लेसमेंट उन्मुखी, राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप कौशल कार्यक्रम भी उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत मार्च, 2020 तक 10.00 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

v. **पावर टेक्स इंडिया:** व्यापक विद्युतकरघा विकास योजना को साधारण विद्युतकरघों का स्व-स्थाने उन्नयन, समूह वर्कशेड योजना, यार्न बैंक योजना, सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी), सौर उर्जा योजना, प्रधानमंत्री ऋण योजना आदि जैसे संघटकों के साथ 01.04.2017 से 31.03.2020 तक का अवधि के लिए शुरू किया गया है।

vi. **राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम:** इन कार्यक्रमों का उद्देश्य एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से हथकरघा और हस्तशिल्प कलस्टरों का सर्वांगीण विकास करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत रणनीतिक पहलों में नए उन्नत करघों और टूल किटों के लिए वित्तीय सहायता, डिजाइन नवाचार, उत्पाद और अवसंरचना विकास, कौशल उन्नयन, प्रशिक्षण, विनिर्माण और निर्यात बढ़ाने के लिए मेगा कलस्टरों की स्थापना, बुनकरों और कारीगरों के लिए अनुकूल मुद्रा ऋण के माध्यम से कार्यशील पूंजी के लिए आसान पहुंच तथा बुनकरों और कारीगरों को प्रत्यक्ष विपणन सहायता शामिल हैं।

vii. **सिल्क समग्र**: भारत सरकार, देश में रेशम उत्पादन के विकास के लिए अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी का अंतरण तथा आई.टी. पहलों, बीज संगठनों को सहायता, समन्वय एवं बाजार विकास तथा गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली (क्यूसीएस)/निर्यात ब्रांड संवर्धन तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन जैसे संघटकों के साथ 'सिल्क समग्र' नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना का क्रियान्वयन कर रही है। रेशम को ऊन, कयर, कपास जैसे अन्य फाइबरों के साथ मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग वाले नए उत्पादों का विकास करने के लिए आरएंडडी प्रयास शुरू किए गए हैं।

viii. **जूट-(आईकेयर)**: सावधानीपूर्वक डिजाइन की गईं पहलों के माध्यम से कच्ची पटसन की उत्पादकता तथा गुणवत्ता में सुधार करने के लिए वर्ष 2015 में जूट-आईकेयर (बेहतर खेती तथा उन्नत रैटिंग प्रक्रिया) नामक एक परियोजना की शुरूआत की गई थी। इस परियोजना से देश के विभिन्न राज्यों में 1.9 लाख किसानों को लाभ प्राप्त हुआ है।

ix. **पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस)**: यह योजना वस्त्र उद्योग के सभी क्षेत्रों को अवसंरचना, निर्माण क्षमता और विपणन सहायता प्रदान करके पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देती है। वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि के दौरान इस योजना का परिव्यय 500 करोड़ रुपए है।

x. **एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी):** ऊन के उत्पादन तथा इसकी गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए ऊन उत्पादक से लेकर इसके अंतिम उपभोक्ता तक ऊन क्षेत्र की समग्र श्रृंखला को सहायता प्रदान करने के लिए ऊन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के एकीकरण और यौक्तिकीकरण के पश्चात वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार ने हाल ही में आईडब्ल्यूडीपी को अनुमोदित किया है।

उपर्युक्त पहलों/योजनाओं का उद्देश्य नई इकाइयों की स्थापना करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना और उन मौजूदा इकाइयों का विस्तार करना भी है, जिनमें रोजगार के अधिक अवसर सृजित किए जाने की संभावना है।

*****